न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 199/2024

पीराराम पुत्र देराजराम जाट
निवासी भीमाणी सियागों की ढाणी
तहसील रामसर, जिला बाडमेर

अपीलाण्ट...

ब ना म

1. हरदान पुत्र घमण्डाराम जाट
2. त्रिलोका पुत्र घमण्डाराम जाट
3. अणछी पत्नी घमण्डाराम जाट
   निवासीगण भीमाणी सियागों की ढाणी
   तहसील रामसर, जिला बाडमेर
4. तहसीलदार, रामसर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रामसर दिनांक 22 मार्च 2024 प्रकरण संख्या 11/2024 हरदान व अन्य बनाम पीराराम आदि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री गुलाबसिंह भाटी, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 से 3
रेस्पो. संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 01 अक्टूबर, 2024

अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 11/2024 हरदान व अन्य बनाम पीराराम आदि में पारित आदेश दिनांक 22 मार्च 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। साथ ही एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम पेश करने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भोमाणी सियोगों की ढाणी स्थित आराजी खसरा संख्या 493/243 बाबत तरमीम दुरूस्ती हेतु

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण–रेस्पो. हरदान आदि द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत किया गया, जो जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 मार्च 2024 को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट ग्राम भोमाणी सियागो की ढाणी स्थित आराजी खसरा संख्या 494/243 का विगत 40 सालों से रिकार्डेड खातेदार और काबिज काश्तकार होकर प्रार्थीगण–रेस्पो. का खेत–पडौसी है, मगर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि यदि मौके पर प्रार्थीगण–रेस्पो. की खातेदारी भूमि का रकबा कम है जो उसके संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही के प्रावधान है, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 136 की संक्षिप्त कार्यवाही में खातेदारी भूमि के रकबे में कमी–बेशी नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व मौके की वस्तुस्थिति अभिलेख पर लिये जाने हेतु संबंधित तहसीलदार से कोई मौका रिपोर्ट भी तलब नहीं की गयी है। रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत परिशिष्ट अ व ब के संबंध में भी कोई जांच नहीं की गयी और प्रार्थनापत्र को बिना किसी साक्ष्य के ही सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के कारण समुचित समय में अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश बाबत कोई जानकारी नहीं हो पायी। दिनांक 20 जून 2024 को रेस्पो. संख्या 1 से 3 द्वारा अपनी भूमि की नेखमबंदी बाबत नोटिस भेजे जाने पर अपीलाण्ट द्वारा अपनी भूमि से संबंधित दस्तावेजात की नकलें प्राप्त करने की कार्यवाही के दौरान अपीलाधीन आदेश बाबत पटवारी के द्वारा अपीलाण्ट को बताया गया, तब नकलें आदि प्राप्त कर जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर आलौच्य अपील पेश कर दी गयी। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि रेस्पो. के पूर्व घमण्डाराम द्वारा भला पुत्र हीरा जाट से उसकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 243 रकबा 86 बीघा 5 बिस्वा में से ½ हिस्सा भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उक्त विक्रय विलेख में अंकित पडौसानुसार बेचान की जाने वाली भूमि के पूर्व में गुमना वल्द हीरा का खेत, पश्चिम में पदमसिंह राजपूत का खेत, उत्तर में खेता वल्द ठाकराराम का खेत तथा दक्षिण में इसी खसरा की अन्य आधी भूमि जो पीराराम (अपीलाण्ट) को बेचान की गयी स्थित है। इसी अनुसार मौके पर तरमीम भी हुई मगर राजस्व अधिकारियों द्वारा रेस्पो. के कब्जे की भूमि की तरमीम लट्ठा ट्रेस में कम करते हुए अपीलाण्ट के खाते में भूमि अधिक दर्शा दी गयी। जिसकी जानकारी होने पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर विचारण न्यायालय में दिनांक 12 फरवरी 2024 को प्रकरण संस्थित किया गया और अप्रार्थी–अपीलाण्ट को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किये जाने की आदेशिका अंकित करते हुए आगामी पेशी दिनांक 13 मार्च 2024 मुकर्रर की गयी। दिनांक 12 फरवरी 2024 की आदेशा के अनुसरण में अप्रार्थी–अपीलाण्ट की तलबी हेतु कोई सम्मन/नोटिस जारी किया जाना विचारण न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। दिनांक 13 मार्च 2024 की आदेशिका "....पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य में व्यस्त होने/...." की रबर स्टाम्प लगाई जाकर आयन्दा पेशी 22 मार्च 2024 रखी गयी और दिनांक 22 मार्च 2024 की आदेशिका अनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी–अपीलाण्ट पर सम्मन/नोटिस की तामील अथवा अप्रार्थी–अपीलाण्ट की उपस्थिति बाबत कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, अपीलाधीन आदेश में प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का कोई ठोस आधार भी प्रकट नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में जाहिर है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं निर्धारित विधिक प्रकिया की पालना सुनिश्चित किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाकर आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 मार्च 2024 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे और उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई कर निर्धारित विधिक प्रकिया एवं कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विधिवत न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर